



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक :- 369 / प्रवर्तन जोन-1 / 2025

दिनांक 22/12/25

परिशिष्ट-6 प्रपत्र 'ब' / भाग-द

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं आंशिक पूर्णता प्रमाण-पत्र

(आवेदन पत्र परिशिष्ट-6-प्रपत्र 'ब' भाग-अ, ब, स की फोटोकॉपी साथ में संलग्न है।)

मै0 महालक्ष्मी बिल्डटैक लि0 द्वारा खसरा सं0-408, 409, 410, 411, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432एम, 433एम, 434, 488, 489, 490, 492, व 493 ग्राम नूरनगर एवं खसरा सं0-31, 90, 91 एवं 191 ग्राम मोरटा गाजियाबाद पर निर्मित ग्रुप हाउसिंग मिगसन अथर्वा (प्लॉट-ए, बी, सी एवं डी) हेतु मानचित्र संख्या-13/पी0एम0ए0वाई0/जी0डी0ए0/एम0पी0/2018 दिनांक 17.06.2018 स्वीकृत कराया गया है। विकासकर्ता द्वारा स्वीकृति से विचलन कर किये गये अतिरिक्त निर्माण की शमन स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 09.04.2025 को प्रदान की गयी है। वर्तमान में विकासकर्ता द्वारा प्लॉट-ए आवासीय (462 यूनिट) एवं व्यवसायिक तथा प्लॉट-डी (पीएमएवाई 946 यूनिट) का पूर्णता प्रमाण पत्र (सम्पूर्ण मानचित्र का आंशिक भाग) प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्तुत अभिलेखों/प्रमाण पत्रों का परीक्षण खण्डीय अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कर लिया गया है एवं विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत/शमनित मानचित्र के अनुरूप सही पाये जाने पर उपरोक्त भवनों का आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने की स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 19.12.2025 को प्रदान की गयी है। अतः उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15क(2) के अन्तर्गत उपरोक्त खसरों पर निर्मित ग्रुप हाउसिंग मिगसन अथर्वा के प्लॉट-ए आवासीय (462 यूनिट) एवं व्यवसायिक तथा प्लॉट-डी (पीएमएवाई 946 यूनिट) का पूर्णता प्रमाण पत्र (सम्पूर्ण मानचित्र का आंशिक भाग) पृष्ठ भाग पर उल्लेखित शर्तों/प्रतिबन्धों (कम संख्या-01 से 17) के अधीन जारी किया जाता है।

विशेष कार्याधिकारी/
प्रभारी प्रवर्तन जोन-1